

प्रपत्र (ग)

(नियम 3 (3) देखिए)

[मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958]

स्थापना के पंजीयन का प्रमाण पत्र
भाग - क



Digitally signed by P. JASEMIN ALI SITARA
Date: 2017.11.03 04:34:29 EDT
Reason: Establishment Certificate
Location: Labour Department, GoMP

कार्यालय : District Labour Office, BHOPAL

(1) आनलाइन पंजीयन चिन्ह एवं क्रमांक : C/651903 , पंजीयन क्रं/तिथि :

(2) स्थापना का नाम : SYMETRIC SERVICES

(3) स्थापना के (डाक का) पूरा पता : 123/2, ASHOKA COLONY, NOOR MAHAL ROAD, BHOPAL

(4) स्थापना के कारोबार, व्यापार या व्यवसाय का स्वरूप : Photocopying, DTP, Data Processing, Online/Telecom Service Providers and related services

(5) मालिक, प्रबन्धक, अभिकर्ता (एजेंट) अथवा अन्य कोई व्यक्ति, जिसके अधीन या नियंत्रण में स्थापना का कार्य संचालन होता हो :

	नाम	पिता / पति का नाम	पता
मालिक	ANURAG SINGH	ARTHUR SINGH	123/2, ASHOKA COLONY, NOOR MAHAL ROAD, BHOPAL
प्रबन्धक	-	-	-
अभिकर्ता	-	-	-

(6) स्थापना में सेवा नियोजक के रूप में हित रखने वाले अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) यदि कोई हों तो, उनका नाम, पद और राज्य में उसका पूरा पता :

स.क्र.	नाम	पद	पता
--------	-----	----	-----

(7) सेवार्थियों की कुल संख्या :

	पुरुष	महिला	योग
प्राँढ़	0	0	0
युवा			0
योग	0	0	0

पंजीयन शुल्क: Rs.100

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्र., सन 1958) के अंतर्गत दिनांक 03/11/2017 को पंजीयन की गई है। इस पंजीयन की वैधता दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक है।

निरीक्षक

दुकान एवं स्थापना
अधिनियम 1958 के अंतर्गत

दिनांक: 03/11/2017

महत्वपूर्ण सूचना : यह प्रमाण पत्र स्थापना का पंजीयन मात्र है जो केवल आपके द्वारा अपलोड किये गए दस्तावेजों एवं जानकारी के अवलोकन के आधार पर जारी किया गया है। इस हेतु किसी भी तरह का भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण नहीं किया गया है। यदि इन दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो विभाग द्वारा प्रदत्त पंजीयन रद्द करने तथा आवेदक के विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। पंजीयन प्रमाण पत्र के माध्यम से बैंक लोन, स्वामित्व एवं संपत्ति विवाद, न्यायालय में जमानत, GST पंजीयन प्राप्त करने या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने पर श्रम विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यह पंजीयन व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। इस हेतु सक्षम प्राधिकारी से पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगी। दस्तावेज डिजिटल हस्ताक्षरित है अतः मैन्युअल हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।